	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 13, बुधवार, शाके 1936–मार्च 4, 2015 *Phalguna 13, Wednesday, Saka 1936-March 4, 2015*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 4, 2015

No. F. 2 (25) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 27th day of December, 2014 is hereby published for general information:-

THE APPRENTICES (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2014

(Act No. 2 of 2015)

[Received the assent of the President on the 27th day of December, 2014]

An

Act

further to amend the Apprentices Act,1961 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Apprentices (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Central Act No. 52 of 1961.- In the Apprentices Act, 1961 (Central Act No. 52 of 1961), in its application to the State of Rajasthan, hereinafter referred to

as the principal Act, for the existing clause (b) of section 6, the following shall be substituted, namely:-

"(b) in the case of other apprentices, the period of apprenticeship training shall be such as may be prescribed by State Apprenticeship Council;".

3. **Amendment of section 7, Central Act No. 52 of 1961.-** For the existing proviso to sub-section (3) of section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that where a contract is terminated-

(a) for failure on the part of the employer to carry out the terms and conditions of the contract, the employer shall pay to the apprentice such compensation as may be determined by the State Apprenticeship Adviser;

(b) for such failure on the part of the apprentice, the apprentice shall refund to the employer as cost of training, such amount as may be determined by the State Apprenticeship Adviser.".

4. **Amendment of section 8, Central Act No. 52 of 1961.-** For the existing section 8 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**8. Number of apprentices for a designated trade.-** (1) The State Government shall, after consulting the State Apprenticeship Council, by order notified in the Official Gazette, determine for each designated trade the ratio of trade apprentices to workers other than unskilled workers in that trade:

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to prevent any employer from engaging a number of trade apprentices in excess of the ratio determined under this sub-section.

(2) In determining the ratio under sub-section (1), the State Government shall have regard to the facilities available for apprenticeship training under this Act in the

designated trade concerned as well as to the facilities that may have to be made available by an employer for the training of graduate or technician apprentices or technician (vocational) apprentices, if any, in pursuance of a notice issued to him under sub-section (3A) by the State Apprenticeship Adviser or such other person referred to in that sub-section.

(3) The State Apprenticeship Adviser may, by notice in writing, require an employer to engage such number of trade apprentices within the ratio determined by the State Government for any designated trade in his establishment, to undergo apprenticeship training in that trade and the employer shall comply with such requisition:

Provided that in making any requisition under this sub-section, the State Apprenticeship Adviser shall have regard to the facilities actually available in the establishment concerned:

Provided further that the State Apprenticeship Adviser may, on a representation made to him by an employer and keeping in view the more realistic employment potential, training facilities and other relevant factors, permit him to engage such number of apprentices for a designated trade as is lesser than the number arrived at by the ratio for that trade, not being lesser than thirty percent of the number so arrived at, subject to the condition that the employer shall engage apprentices in other trades in excess in number equivalent to such shortfall.

(3A) The State Apprenticeship Adviser or any other person not below the rank of an Assistant Apprenticeship Adviser authorised by the State Apprenticeship Adviser in writing in this behalf shall, having regard to-

(i) the number of managerial person (including technical and supervisory persons) employed in a designated trade;

(ii) the number of management trainees engaged in the establishment;

(iii) the totality of the training facilities available in a designated trade; and

(iv) such other factors as he may consider fit in the circumstances of the case;

by notice in writing, require an employer to impart training to such number of graduate or technician apprentices or technician (vocational) apprentices in such trade in his establishment as may be specified in such notice and the employer shall comply with such requisition.

Explanation.- In this sub-section the expression "management trainee" means a person who is engaged by an employer for undergoing a course of training in the establishment of the employer (not being apprenticeship training under this Act) subject to the condition that on successful completion of such training, such person shall be employed by the employer on a regular basis.

(4) Several employers may join together for the purpose of providing practical training to the apprentices under them by moving them between their respective establishments.

(5) Where, having regard to the public interest, a number of apprentices in excess of the ratio determined by the State Government or in excess of the number specified in a notice issued under sub-section (3A) should in the opinion of the State Government be trained, the State Apprenticeship Adviser may require employers to train the additional number of apprentices.

(6) Every employer to whom such requisition as aforesaid is made, shall comply with the requisition if the State Government concerned makes available such additional facilities and such additional financial assistance as are considered necessary by the State Apprenticeship

Adviser for the training of the additional number of apprentices.

(7) Any employer not satisfied with the decision of the State Apprenticeship Adviser under sub-section (6), may make a reference to the State Apprenticeship Council and such reference shall be decided by a Committee thereof appointed by the State Apprenticeship Council for the purpose and the decision of that Committee shall be final.".

5. **Amendment of section 9, Central Act No. 52 of 1961.**- In section 9 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every employer shall, make suitable arrangements in his establishment or, outsource the same to a suitable third party training provider for imparting a course of practical training to every apprentice engaged by it in accordance with the programme approved by the State Apprenticeship Adviser."; and

(ii) for the existing sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (8), the following shall be substituted, namely:-

"(i) if such employer employs two hundred and fifty workers or more, by the employer and the Government in equal shares up to such a limit as may be laid down by the State Government and such amount shall be reimbursed by the State Government in each case of completion of successful training by the apprentice;

(ii) if such employer employs less than two hundred and fifty workers, by the State Government alone and such amount up to such a limit as may be laid down by the State Government shall be reimbursed by the State Government, and beyond that limit by the employer in each case of completion of successful training by the apprentice; and".

6. Amendment of section 13, Central Act No. 52 of 1961.- For the existing section 13 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**13. Payment to apprentices.-** The employer shall pay to every apprentice during the period of apprenticeship training such stipend at a rate not less than the minimum wages notified by State Government under the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act No. 11 of 1948) for unskilled worker category, as may be specified in the contract of apprenticeship and the stipend so specified shall be paid at such intervals and subject to such conditions as may be prescribed.".

7. Amendment of section 14, Central Act No. 52 of 1961.- For the existing section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**14. Health, safety and welfare of apprentices.-** Where any apprentices are undergoing training in a factory, the provisions of Chapters III, IV and V of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were workers within the meaning of that Act and when any apprentices are undergoing training in a mine, the provisions of Chapter V of the Mines Act, 1952 (Central Act No. 35 of 1952), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were persons employed in the mine and when any apprentices are undergoing training in a shop or commercial establishment, the provisions of the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act,1958 (Act No. 31 of 1958), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were persons employed in the shop or establishment.".

8. Amendment of section 23, Central Act No. 52 of 1961.- For the existing sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) Every State Council may be affiliated to the National Council and every State Apprenticeship Council may be affiliated to the Central Apprenticeship Council.".

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 4, 2015

संख्या प. 2 (25) विधि/2/2014.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी एप्रेन्टिसेज (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 2 ऑफ 2015)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

शिक्षु (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014

(2015 का अधिनियम संख्यांक 2)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हुई]

शिक्षु अधिनियम, 1961 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम शिक्षु (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 6 का संशोधन.- शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त, उसकी

धारा 6 के विद्‌यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌:-

"(ख) अन्य शिक्षुओं की दशा में शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी, जितनी राज्य शिक्षुता परिषद्‌ द्‌वारा विहित की जाए;"।

3. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के विद्‌यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌:-

"परन्तु जहां कोई संविदा-

(क) उसके निबन्धनों और शर्तों का पालन करने में नियोजक की असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहां नियोजक शिक्षुओं को ऐसा प्रतिकर देगा, जो राज्य शिक्षुता सलाहकार द्‌वारा अवधारित किया जाए;

(ख) शिक्षु की ऐसी असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहां शिक्षु प्रशिक्षण के खर्च के रूप में नियोजक को उतनी रकम वापस करेगा, जितनी राज्य शिक्षुता सलाहकार द्‌वारा अवधारित की जाए।"।

4. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्‌यमान धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌:-

"**8. अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या.-** (1) राज्य सरकार, राज्य शिक्षुता परिषद्‌ से परामर्श करने के पश्चात्‌, हर अभिहित व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों से व्यवसाय शिक्षुओं का अनुपात, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्‌वारा, अवधारित करेगी:

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात किसी नियोजक को इस उप-धारा के अधीन अवधारित अनुपात से अधिक संख्या में व्यवसाय शिक्षु रखने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुपात अवधारित करने में, राज्य सरकार संबंधित अभिहित व्यवसाय में इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उपलभ्य सुविधाओं का तथा उन सुविधाओं

का भी, यदि कोई हों, ध्यान रखेगी जिन्हें किसी नियोजक को स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए ऐसी किसी सूचना के अनुसरण में उपलब्ध कराना पड़े, जो उप-धारा (3क) के अधीन राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उस उप-धारा में निर्दिष्ट है, उस नियोजक को दी गई हो।

(3) राज्य शिक्षुता सलाहकार, लिखित सूचना द्वारा, नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी अभिहित व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा अवधारित अनुपात के भीतर इतने व्यवसाय शिक्षुओं को उस व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने स्थापन में रखे जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं, और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन अपेक्षा करते समय राज्य शिक्षुता सलाहकार, संबंधित स्थापन में वस्तुतः उपलभ्य सुविधाओं का ध्यान रखेगाः

परन्तु यह और कि राज्य शिक्षुता सलाहकार, किसी नियोजक द्वारा उसे अभ्यावेदन किये जाने पर और अधिक यथार्थवादी नियोजन सशक्तता, प्रशिक्षण सुविधाओं एवं अन्य सुसंगत कारकों को दृष्टिगत रखते हुए, उसे, किसी अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की ऐसी संख्या नियुक्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा जो उस व्यवसाय के लिए अनुपात द्वारा आने वाली संख्या से कम हो, जो इस प्रकार आई संख्या के तीस प्रतिशत से कम न हो, इस शर्त के अध्यधीन कि नियोजक अन्य व्यवसायों में ऐसी कमी के बराबर संख्या से अधिक शिक्षुओं को नियुक्त करेगा।

(3क) राज्य शिक्षुता सलाहकार या इस निमित्त राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो-

(i) किसी अभिहित व्यवसाय में नियोजित प्रबन्धकार व्यक्तियों की (जिसके अन्तर्गत तकनीकी और पर्यवेक्षी व्यक्ति भी हैं) संख्या का;

(ii) स्थापन में रखे गये प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का;

(iii) किसी अभिहित व्यवसाय में उपलभ्य समग्र प्रशिक्षण सुविधाओं का; तथा

(iv) अन्य ऐसी बातों का, जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे;

ध्यान रखते हुए किसी नियोजक से, लिखित सूचना द्वारा, यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने स्थापन में ऐसे व्यवसाय में उतने स्नातकों या तकनीकी शिक्षुओं या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं को प्रशिक्षण दे जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा में अभिव्यक्ति "प्रबंध प्रशिक्षणार्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे नियोजक के स्थापन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को (जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण नहीं है) पूरा करने के लिए नियोजक द्वारा इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए रखा गया है कि ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे नियोजक द्वारा नियमित आधार पर नियोजित कर लिया जाएगा।

(4) कई नियोजक अपने अधीन के शिक्षुओं को अपने तथा एक दूसरे के स्थापनों में भेजकर उनके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण उपबंधित करने के प्रयोजन के लिए आपस में सम्मिलित हो सकेंगे।

(5) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी संख्या में शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित अनुपात से अधिक है या उप-धारा (3क) के अधीन जारी की गयी किसी सूचना में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, वहां राज्य शिक्षुता सलाहकार नियोजकों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी अतिरिक्त संख्या में शिक्षुओं को प्रशिक्षित करे।

(6) हर नियोजक, जिससे यथापूर्वोक्त अपेक्षा की जाए, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा, यदि राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं, और ऐसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता जैसी कि राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा शिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझी जाएं, उपलब्ध कर दे।

(7) कोई भी नियोजक, जो उप-धारा (6) के अधीन राज्य शिक्षुता सलाहकार के विनिश्चय से संतुष्ट न हो, राज्य शिक्षुता परिषद् को निर्देश कर सकेगा और वह निर्देश राज्य शिक्षुता परिषद् द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गयी उसकी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उस समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।"।

5. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) हर नियोजक, राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अपने द्वारा रखे गये हर शिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अनुसरण कराने के लिए अपने स्थापन में उपयुक्त इंतजाम करेगा या, उन्हें किसी उपयुक्त तृतीय पक्ष प्रशिक्षण प्रदानकर्ता को आऊटसोर्स करेगा।"; और

(ii) उप-धारा (8) के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(i) यदि ऐसा नियोजक दो सौ पचास या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है तो ऐसी सीमा तक, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, नियोजक और सरकार द्वारा समान अंशों में वहन की जायेगी और शिक्षु द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रत्येक मामले में ऐसी रकम की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी;

(ii) यदि ऐसा नियोजक दो सौ पचास से कम कर्मकारों को नियोजित करता है तो केवल राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी और ऐसी रकम, ऐसी सीमा तक जो राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जाए राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्त की जाएगी, और शिक्षु द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रत्येक मामले में उक्त सीमा से आगे नियोजक द्वारा प्रतिपूर्त की जायेगी; और"।"

6. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**13. शिक्षुओं को संदाय.-** नियोजक शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान हर शिक्षु को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 11) के अधीन अकुशल कर्मकार श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी, जैसीकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी है, से अन्यून दर से ऐसी वृत्तिका का संदाय करेगा, जैसी शिक्षुता-संविदा में विनिर्दिष्ट हो और इस प्रकार विनिर्दिष्ट वृत्तिका ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन संदत्त की जाएगी, जैसी विहित की जाएं।"।

7. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 14 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**14. शिक्षुओं का स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण.-** जहां कि कोई शिक्षु किसी कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वहां कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) के अध्याय 3, 4 और 5 के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो वे इस अधिनियम के अर्थ के अंदर कर्मकार हों और जबकि कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तब खान अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) के अध्याय 5 के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित व्यक्ति हों और जबकि कोई शिक्षु किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तब राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 31) के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो वे दुकान या अधिष्ठान में नियोजित व्यक्ति हों।"।

8. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) हर राज्य परिषद् राष्ट्रीय परिषद् से संबद्ध हो सकेगी और हर राज्य शिक्षुता परिषद् केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से संबद्ध हो सकेगी।"।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

12

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।